मैं क्या कर सकता/सकती हूँ?

पुलिस जातनी है कि यह समय आपके लिए बहुत कष्टदायक होता है, और आपको मदद और पुलिस से जानकारी लेने की ज़रूरत है। परंतु इस समय आप स्वंय भी अधिक से अधिक पूछताछ करके पुलिस की मदद कर सकते हैं। कृपया यह समझ लें कि चाहे आप इस प्रकार की रिपोर्ट पहली बार कर रहे हैं, परंतु जाँच पड़ताल करने और अन्य एजंसियों से मदद लेने का पुलिस का अनुभव बहुत वर्षों का है। हम यह जाँच पड़ताल बहुत जल्दी पूरी करने की कोशिश करेंगे।

कई बार गुमशुदा व्यक्ति यह नहीं बताना चाहते कि वे कहाँ हैं, यह उनका अधिकार है, जिसका सम्मान हमें करना पड़ता है। यदि ऐसा हो तो हम हमेशा आपको बताएंगे।

यदि आपको अधिक मदद चाहिए, तो मदद देने वाली एजंसियों से संपर्क करने के बारे में जानकारी

पुलिस स्टेशन में संपर्क करने के लिए
टेलीफ़ोन
रैफ़रेंस

नेश्नल मिसिंग पर्सन हेल्पलाईन
0500 700 700
www.missing persons.org

सैमैरीटन्ज़
08457 90 90 90
www.samaritans.org

ब्रिटिश रैड क्रास
020 7235 54 54
www.redcross.org.uk/trace

रीयूनाईट
www.reunite.org

गुमशुदा व्यक्तियों के बारे में रिपोर्ट करना और जाँच पड़ताल करवाना

METROPOLITAN POLICE

Working together for a safer London

अब मैंने उनके गुम होने की रिपोर्ट तो कर दी है, इसके बाद क्या होगा?

गुमशुदा व्यक्ति के बारे में आपसे जानकारी लेने के बाद, पुलिस वाले यह पूरी जानकारी पुलिस स्टेशन के कंप्यूटर में डालते हैं, और यह जानकारी पुलिस से नेश्नल कंप्यूटर में जाती है। नेश्नल कंप्यूटर में जाने के बाद इस देश में या विदेश में कोई भी पुलिस अफ़सर हमारे साथ संपर्क करके पूरी जानकारी ले सकता है।

प्रारंभिक जाँच पड़ताल करने वाला अफ़सर तुरंत पूछताछ करके जितनी भी जल्दी हो सके, गुमशुदा व्यक्ति को ढूँढने की कोशिश करेगा।

यदि गुमशुदा व्यक्ति न मिले, तो जाँच पड़ताल का काम पुलिस स्टेशन में किसी अफ़सर को संभाल दिया जता है जो आने वाले समय में पूछताछ के काम संभालता है।

वे क्या कर सकते हैं?

जाँच पड़ताल करने वाला अफ़सर सबसे पहले यह सुनिश्चित करेगा कि कि क्या सही जाँच पड़ताल करने के लिए हमारे पास ज़रूरी जानकारी है, जिसमें ये बातें शामिल होती हैं –

- मित्र और संबंधी
- वे स्थान जहाँ गुम हुए व्यक्ति के पहले कभी जाने के बारे में मालूम है,
- यदि उसकी सेहत में कोई ख़राबी है या उसे कोई रोग है,
- माली जानकारी (जैसे बैंक अकाऊँट, क्रैडिट और डैबिट कार्डों के बारे में जानकारी),
- यदि उसे कोई बैनीफ़िट मिलते हैं तो वे स्थान जहाँ से वह बैनीफ़िट ले सकता/सकती है,
- कुछ ताज़ा फ़ोटो,
- वे घटनाएं जिनका संबंध उसके गुम होने से हो सकता है,
- बाद में फ़ोरैंज़िक जाँच पड़ताल के लिए डी ऐन ए का नमूना।

आपकी अनुमति से, अफ़सर उस व्यक्ति को ढूँढने में मदद देने वाले कोई सबूत आपके घर में तलाश कर सकते हैं (इस ढंग का उपयोग प्राय: किया जाता है)।

विज्ञापन देने के बारे में भी आपसे अनुमति की जाएगी, क्योंकि पुलिस अधिक स्थानों पर तलाश करना चाहेगी।